रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2011/भाद्र 2, 1933
No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2011/BHADRA 2, 1933

## संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

**सा.का.नि. 635(अ).**—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (नियुक्ति, कार्य एवं कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के प्रारूप नियमों दिनांक 11 फरवरी, 2011 का प्रकाशन भारत के राजपत्र असाधारण का.आ. 85(अ) में जनता की सामान्य जानकारी के लिए किया गया था तथा जनता से आक्षेप व सुझाव तीस दिन की अवधि के भीतर आपेक्षित किये गये थे;

और उक्त राजपत्र आम जनता को 18 फरवरी, 2011 को उपलब्ध करा दिया गया था;

तीस दिन की उपरोक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप व सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर निपटारा कर दिया गया है;

इसलिए, अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (ग.क.), (ग.ख.), (ग.ग.), (ग.घ.), (ग.ङ.), (ग.च.), (ग.छ.) और (ग.ज.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) अभिप्रेत है ।

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से आशय धारा 20च की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "पूर्णकालिक सदस्य" से आशय धारा 20च की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "अंशकालिक सदस्य" से धारा 20च की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "वृहद परियोजना" से ऐसा कियाकलाप अभिप्रेत है, जिसका संबंध बीस करोड़ रुपये से अन्यून की लागत के प्राक्कलित संनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण से है;

(छ) "स्थानीय प्रशासन" से संबद्ध राज्यों के अधिनियमों के अधीन गठित – नगर निगम, नगर समिति, भूमि विकास प्राधिकरण अथवा अपने संबद्ध क्षेत्रों में संनिर्माण तथा विकास कियाकलाप के नियंत्रण एवं नियमन की 'शक्तियाँ साथ विहित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पर्वतीय विकास परिषद, छावनी बोर्ड अथवा ऐसे ही अन्य निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "प्ररूप" से आशय इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से आशय इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ट) ऐसे शब्द तथा उदगारण जो की अधिननियम में परिभाषित किये गये हैं परतू इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं वे यथानुसार अधिनियम में परिभाषित अर्थ रखते हैं।

## अध्याय 2
## वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें

3. **वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें** - पूर्णकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय वेतन एवं भत्ते निम्न प्रकार होंगे :–

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास का वेतन संदाए किया जाएगा साथ ही भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी के लिए ग्राह्य अन्य भत्ते दिए जाएंगे।

(ख) पूर्णकालिक सदस्य को उच्च प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार वेतनमान (67000/– रुपये और 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि – 79000/–) में वेतन संदत्त किया जाएगा साथ ही भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी के लिए यथा ग्राह्य अन्य भत्ते दिए जाएंगे;

परंतु यदि पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के समय उच्च प्रशासनिक श्रेणी से अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो भारत सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार उसे अनुकूल वेतन दिया जाएगा।

(ग) अंशकालिक सदस्य को प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित रहने के लिए तीन हजार रुपये प्रति दिन भत्ता संदत्त किया जाएगा तथा पूर्णकालिक सदस्य के लिये ग्राह्य दरों के अनुसार वह परिवहन प्रभारों की छतिपूर्ति के लिए हकदार होगा।

4. **प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें**:–(1) अध्यक्ष, संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मन्त्री को संबोधित अपनी हस्तलिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र मन्त्री के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वह अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर कार्य करता रहेगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित अपनी हस्तलिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वह सदस्य के रूप में अपने पद पर कार्य करता रहेगा।

5. **अध्यक्ष, सदस्यों तथा सदस्य–सचिव के सामान्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व:** (1) अध्यक्ष को प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण और प्राधिकरण में कार्यों के संचालन के नियंत्रण की शक्ति होगी तथा वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का उत्तरदायित्व प्राधिकरण के समक्ष लाए गए विभिन्न मुद्दों पर विनिश्चय करने में अध्यक्ष की सहायता करना होगा।

(3) सदस्य सचिव, कर्मचारी नियोजन, प्रशासन और सभी वित्तीय मामलों तथा निम्नलिखित कृत्य करने का उत्तरदायित्व होगा :–

(i) सक्षम अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर सदस्य सचिव विरासत उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करेगा ;

(ii) अध्यक्ष की परामर्श से सदस्य सचिव, प्राधिकरण की बैठकों के लिए कार्यसूची पत्रों को तैयार और जारी करने में समन्वय करेगा;

(iii) प्राधिकरण में हुई बैठकों की कार्यवाही का ब्योरा तैयार करने तथा प्राधिकरण के विनिश्चयों का पालन करते हुए दिशानिर्देश जारी करने अथवा परिस्थिति आने पर हस्तक्षेप करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव का होगा; और

(iv) प्राधिकरण की सभी सिफ़ारिशों को सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

## अध्याय 3
## सिफ़ारिशें तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रारूप

6. **राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों का श्रेणीकरण, प्रवर्गीकरण एवं वर्गीकरण:** - (1) धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार के लिए सिफ़ारिशें तैयार करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण, जनता के विचार अभिप्राप्त करेगा और असाधारण व्यापक महत्व, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वास्तु कला संबंधी महत्व तथा इसी प्रकार के अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के प्रवर्गीकरण, श्रेणीकरण और वर्गीकरण किए जाने हेतु जनता से सुझाव एवं आक्षेप तीस दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित करेगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के प्रवर्गीकरण, श्रेणीकरण और वर्गीकरण किए जाने के संबंध में प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण, ऐसे संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों को अनुसूची में उपबंधित व्यापक प्रवर्गों की श्रेणियों में रखेगा और तदनुसार धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार को सिफ़ारिशें करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, संरक्षित संस्मारकों एवं संरक्षित क्षेत्रों की सम्यक् रूप से श्रेणीबद्ध तथा वर्गीकृत सूची प्राप्त होने पर राजपत्र में अधिसूचित करेगी और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उसे प्रदर्शित भी करेगी।

(4) प्राधिकरण, जब भी संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित क्षेत्र का विस्तार क्रमशः सौ मीटर अथवा दो सौ मीटर के परे करने का प्रस्ताव लाएगा तो अपनी सिफ़ारिशें केंद्रीय सरकार के पास भेजने से पहले वह प्रत्येक अवसर पर जनता की राय प्राप्त करेगा और जनता से सुझाव या आक्षेप मांगेगा तथा परामर्श करेगा।

IndiaCode

7. **राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के द्वारा कार्यविधि**:– प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों के विषेश रूप से इन कार्य की निगरानी करेगा –

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी भी प्रकार का संनिर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत या पुनरुद्धार का कार्य करना चाहता हो; आवेदन की प्राप्ति;

(ii) आवेदन पत्रों के उपयुक्त सिफारिशों के साथ निपटान करने की कालवधि;

(iii) प्राधिकरण का सदस्य सचिव, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करते समय अपेक्षित ब्यौरे, स्थल के निरीक्षण की टिप्पणियां, वास्तविक स्थितियां, विरासत उपविधियॉं तथा संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के विनियमित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र पर दृश्य प्रभाव के बारे में विनिर्दिष्ट टिप्पणियां प्राप्त करेगा;

(iv) संरक्षित संस्मारक अथवा पुरातात्विक स्थलों के आसपास उपनियमों में उल्लिखित विनियमित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले ऐसे विशाल सार्वजनिक कार्यों अथवा परियोजनाओं और अन्य संनिर्माण कार्यों के प्रभाव पर रिपोर्टें तथा टिप्पणियां प्राप्त करना, जिनकी परिकल्पना केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, नगर निकायों, निजी निकायों ने की हो तथा इस बारे में अपनी सिफ़ारिशें देना;

(v) आपवादिक मामलों में, जहां सक्षम प्राधिकारी साठ दिनों की अवधि के भीतर विरासत उपविधियॉं बनाने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण इस अवधि को और साठ दिनों तक विस्तारित कर सकेगा।

8. **प्राधिकरण की बैठकों के लिए कार्यसूची** :– (1) प्राधिकरण निम्न कार्यसूची पर विचार विमर्श करेगा :–

(i) विरासत उपविधियॉं की जांच एवं विचार;

(ii) संनिर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं विचार;

(iii) विशाल सार्वजनिक परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा जन सुविधा से संबंधित अन्य परियोजनाओं आदि की जांच एवं विचार;

(iv) प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित क्षेत्र आदि के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों की जांच करना;

(v) संरक्षित संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रवर्गीकरण और उन्हें श्रेणीबद्ध किए जाने के संबंध में प्रस्तावों की जांच करना और अधिसूचना के माध्यम से जनता की राय प्राप्त करना तथा आक्षेप मंगाना; आदि;

(vi) सदस्य सचिव किसी भी ऐसे मामले को जो उसकी राय में आवश्यक है, बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करेगा, चाहे वह देर से प्राप्त हुआ हो अथवा उसके विवरण में किसी प्रकार की कमी हो।

(2) प्राधिकरण, विचार के लिए प्राप्त हुए उपरोक्त विषयों को सूचीबद्ध करने की प्रणाली विकसित करेगा।

9. **प्राधिकरण द्वारा सिफारिश**:–(1) सदस्य सचिव, सक्षम प्राधिकारी से आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर विरासत उपविधियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की जांच करेगा, और उसको प्राधिकरण की बैठक में सम्मिलित करेगा।

(2) सदस्य सचिव के संप्रेक्षणों को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात् प्राधिकरण, आवेदन की जांच करेगा और सक्षम प्राधिकारी को ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए जैसा वह ठीक समझे सिफ़ारिशें करेगा।

(3) सदस्य सचिव, सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकरण की सिफारिशें प्ररूप में, संसूचित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों की जांच करने के पश्चात् यदि सदस्य सचिव की यह राय है कि प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय लेने के लिए अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा और इक्कीस दिन की अवधि के भीतर अपेक्षित जानकारी अभिप्राप्त की जाएगी।

## अध्याय – 4
## प्राधिकरण का कार्य संचालन

10. **प्राधिकरण की बैठकें** :– प्राधिकरण, अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार एवं अनुमति प्रदान करने के लिए सिफारिशें करने हेतु आवश्यकता के अनुसार बैठकें करेगा।

11. **विशेष बैठकें** :– किसी आवश्यक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए अध्यक्ष या तो स्वयं या सदस्य सचिव की सिफारिश पर प्राधिकरण की असाधारण बैठक आयोजित कर सकेगा।

12. **बैठकों का स्थान और इसकी सूचना** :– (1) प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन सामान्यतः नई दिल्ली में किया जाएगा या आपवादिक मामलों में अध्यक्ष के विनिश्चय अनुसार किसी भी अन्य स्थान पर बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों को नियमित बैठकों की दशा में न्यूनतम दो दिन का नोटिस और विशेष बैठक की स्थिति में कम से कम एक दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(3) सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से बैठक का समय, तारीख, और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यसूची के साथ सूचना जारी की जाएगी।

(4) प्राधिकरण सदस्य सचिव के संस्तुती पर आपवादिक मामलों में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रमुख विकास परियोजनाओं या लोक निर्माण कार्य के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा ।

13. **बैठक की अध्यक्षता** :–प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्टतम पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

14. **लोक परियोजनाओं के प्रतिनिधि की भागीदारी** : –सदस्य सचिव यदि आवश्यक समझता है और अध्यक्ष के अनुमोदन से लोक परियोजनाओं के प्रतिनिधि या व्यष्टियों को, आवेदक या उसके प्रतिनिधि को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव के विवरण को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा।

15. **प्राधिकरण के विनिश्चय:–** (1) प्राधिकरण यथासंभव, व्यापक सहमति द्वारा प्रस्तावों पर सिफारिशें कर सकेगा।

(2) किसी प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में सभाध्यक्ष, बैठक में उपस्थित पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों तथा पदेन सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर इसका विनिश्चय करेगा।

(3) बराबरी की स्थिति में सभाध्यक्ष दूसरी बार निर्णायक मत दे सकेंगे।

16. **बैठक के कार्यवृत्त** :–(1) प्राधिकरण के सदस्य सचिव, प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्तों को तैयार करने तथा उसे पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्यों एवं पदेन सदस्य को जारी करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(2) सदस्य सचिव, अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् कार्यवृत्त को प्राधिकरण की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(3) प्राधिकरण की अगली बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि की जाएगी तथा पुष्टि को अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव द्वारा कार्यवृत्त पुस्तिका में पृष्ठांकित किया जाएगा।

(4) कोई भी पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य किसी बैठक में कार्यवृत के पाठ के संबंध में कोई आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह संबंधित मामले की बैठक में उपस्थित रहा न हो।

(5) कोई भी पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य, प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के पश्चात् किसी बैठक के कार्यवृत्त के पाठ के बारे में कोई भी आक्षेप करने का हकदार नहीं होगा।

## अध्याय 5

17. **विनियमित क्षेत्रों में वृहद विकास परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन** :– (1) वृहद विकास परियोजनाओं का पुरातात्विक प्रभाव मूल्यांकन करने की रीति के बारे में प्राधिकरण व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा।

(2) अतीत में संनिर्माण कार्यों अथवा उसी प्रकार के क्रियाकलाप के कारण क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक परिदृश्य की बहाली के लिये प्राधिकरण सिफारिशें कर सकेगा।

18. **विरासत उपविधियों का अनुमोदन** :–(1) प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित विरासत उप विधियों की प्राप्ति होने पर उसकी आवश्यक समीक्षा करेगा।

(2) प्राधिकरण प्रस्तावित विरासत उप विधियों के समीक्षा तथा अनुमोदन के पश्चात् जनता से आक्षेपों या सुझाव आमंत्रित करते हुए उन्हें प्रकाशित करेगा।

(3) प्राधिकरण प्राप्त आक्षेपो या सुझावों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श करके विनिश्चय करेगा।

(4) प्राधिकरण, प्रत्येक अनुमोदित विरासत उप विधियों को केंद्रीय सरकार और महानिदेशक के पास भेजेगा, जो तीस दिन की अवधि के भीतर इन विरासत उप विधियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा अपने कार्यालयों को उपलब्ध करायेंगे।

## अध्याय 6
## प्राधिकरण के सहायक कर्मचारी

19. **सचिव सदस्य की नियुक्ति** :–सचिव सदस्य निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा–

(क) प्राधिकरण का दिन प्रतिदिन का प्रशासन;
(ख) अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यों की रूपरेखा बनाना;
(ग) प्राधिकरण द्वारा किए गये विनिश्चयों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन; और
(ध) प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा से संबंधित मामले।

## अनुसूची

*(नियम 6 देखें)*

अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक और स्थापत्य मूल्य और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संस्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का विस्तृत प्रवर्ग।

प्रवर्ग 1 – यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में अंकित संरक्षित संस्मारक/ पुरातात्विक स्थल।

प्रवर्ग 2 – विश्व धरोहर समिति द्वारा तैयार अंतरिम सूची में सम्मिलित संरक्षित संस्मारक और पुरातात्विक स्थल।

प्रवर्ग 3 – यूनेस्को की अंतरिम विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने के लिए पहचाने गये संरक्षित संस्मारक और पुरातात्विक स्थल ।

प्रवर्ग 4 – टिकट वाले संरक्षित संस्मारक और पुरातात्विक स्थल (विश्व विरासत स्थलों से भिन्न तथा अन्य अंतरिम सूची में सम्मिलित) ।

प्रवर्ग 5 – पर्याप्त संख्या में आगंतुकों वाले संस्मारक और स्थल जो प्रवेश शुल्क लगाने के लिये पहचाने गये हैं।

प्रवर्ग 6 – जीवित संस्मारक जहां काफी संख्या में आगंतुक/तीर्थयात्री आते हैं।

प्रवर्ग 7 – शहरी/अर्ध शहरी सीमाओं और दूरस्थ गांवों में स्थित अन्य संस्मारक ।

प्रवर्ग 8 – या ऐसे अन्य प्रवर्ग, जिसे प्राधिकरण ठीक मान सकेगा।

## प्रारूप

*( नियम 9 (3) देखें )*

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत/नवीकरण कार्य करने के लिये प्राचीन राष्ट्रीय संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेषों के विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण/खनन/उत्खनन के लिये अनुमति देने के लिये राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की सिफ़ारिश

1. आवेदक का नामः
2. आवेदक का पताः
3. स्वामी (स्वामियों) के नामः
   (यदि आवेदक स्वामी से भिन्न है)
4. स्वामी (स्वामियों) का पताः
   (क) वर्तमान पता
   (ख) स्थायी पता
5. क्या संपत्ति, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी क्षेत्र के उपक्रम/किसी फर्म के स्वामित्व में है
6. निकटतम संस्मारक या स्थल का नाम :
   क) अवस्थान :
   ख) जिला :
   ग) राज्य :
7. वह क्षेत्र है जिसमें प्रस्तावित संनिर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत/ नवीकरण होना है..... निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र
8. प्रस्तावित कार्य की प्रकृति :
   (मरम्मत/नवीकरण/संनिर्माण/पुनर्निर्माण)
9. संस्मारक या प्राचीन स्थल का प्रवर्ग
10. संस्मारक या प्राचीन स्थल की श्रेणी
11. संस्मारक या प्राचीन स्थल का वर्गीकरण
12. संस्मारक या प्राचीन स्थल पर प्रस्तावित संनिर्माण का प्रभावः
13. प्राधिकरण की रिफ़ारिश/अनुमोदन/अननुमोदन

प्राधिकरण की मुहर

तरीख :
स्थान :
फ़ाइल संख्यांक :

हस्ताक्षर
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

---

[फा. सं. 1/8/2010-एम (भाग II-एनएमए)]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

IndiaCode

## MINISTRY OF CULTURE

## (Archaeological Survey of India)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

**G.S.R. 635(E).**—Whereas draft National Monuments Authority (Appointment, Functions and Conduct of Business) Rules, 2011 were published as required by clause (a) of sub-section (2) of Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) *vide* number G.S.R. 85(E) dated the 11th February, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette notification are made available to the public;

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 18th February, 2011;

And whereas, the objections received before the date so specified have been duly considered and disposed by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (ca), (cb), (cc), (cd), (ce), (cf), (cg) and (ch) of the section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

### CHAPTER I

### PRELIMINARY

1. **Short title and commencement** : - (1) These rules may be called the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** :- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) ;

(b) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under section 20 F of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority, referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 20F of the Act;

IndiaCode

(d) "whole-time member" means a whole-time member of the Authority, referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 20F of the Act;

(e) "part-time member" means a part-time member of the Authority, referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 20 F of the Act;

(f) "large scale project" means an activity, which concerns construction or reconstruction estimated to cost not less than rupees twenty crores.

(g) "local authority" means a municipal corporation, municipal committee, land development authorities constituted under the respective State Acts, or special area development authority, village panchayat, zila parishad, hill development council, cantonment board or such other bodies, vested with the powers to control and regulate constructions and development activities in their respective areas;

(h) "Form" means a Form annexed to these rules;

(i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(j) words and expressions defined in the Act, but not defined in these rules shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

## CHAPTER II

### SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE

**3. Salaries, allowances and other conditions of service:-** The salary and allowances payable to the whole-time Chairperson, whole-time members and part-time members shall be as under –

(a) the whole-time Chairperson shall be paid a fixed salary of rupees eighty thousand per month plus other allowances as are admissible to an officer of the rank of Secretary to the Government of India;

(b) the whole-time member shall be paid salary in the Higher Administrative Grade in the scale of pay (Rs. 67000/- plus annual increment @3% - 79000/-) plus such other allowances as are admissible to an officer of the rank of Additional Secretary to the Government of India;

Provided that if a whole-time member at the time of appointment is drawing a scale higher than the Higher Administrative Grade, his pay shall be protected as per the existing rules of the Government of India;

(c) the part - time member shall be paid a sitting allowance of rupees three thousand for each day he attends the meeting of the Authority and shall be entitled to reimbursement of transportation charges at the rates as admissible to the whole-time member.

**4. Service conditions of whole-time Chairperson and members of the Authority :-**

(1) The Chairperson may resign from his office in writing under his hand addressed to the Minister in charge of Culture but he shall continue to function as Chairperson until his resignation is accepted by the Minister.

(2) A whole-time member or part-time member may resign from his office in writing under his hand addressed to the Chairperson, but he shall continue to function in the office as member until his resignation is accepted by the Chairperson.

**5. General power and responsibility of Chairperson, Members and Member-Secretary:-** (1) The Chairperson shall have the powers of general superintendence and control in conduct of the affairs of the Authority, and he shall preside over the meetings of the Authority.

(2) The whole-time members and part-time members shall have the responsibility to assist the Chairperson in arriving at decisions on various issues brought before the Authority.

(3) The Member Secretary shall be responsible for manpower planning, administration and all financial matters and perform the following functions, namely:-

(i) all proposals submitted by the competent authorities to the Authority for consideration shall be processed by the Member Secretary in accordance with the heritage bye-laws;
(ii) the Member-Secretary shall co-ordinate in preparation and issue of agenda papers for the meetings of the Authority in consultation with the Chairperson;
(iii) the Member-Secretary shall be responsible for preparation of minutes of the Authority meetings and issue of guidelines or interventions as the situation may arise in accordance with the decisions of the Authority; and
(iv) all recommendations of the Authority shall be authenticated by the Member Secretary.

## CHAPTER III

## PROCEDURE AND FORM FOR MAKING RECOMMENDATIONS

**6. Grading, Categorisation and classification of protected monuments or protected areas of national importance :-** (1) For the purposes of making recommendation to the Central Government under sub-section (1) of section 4A, the Authority shall obtain public opinion and invite suggestions or objections from the public, within a period of 30 days for categorisation, grading and classification of monuments and archaeological sites declared to be of national importance having regard to the outstanding universal value, the historical, archaeological and architectural value and such other relevant factors;

(2) The Authority shall after taking into consideration the objections and suggestions regarding categorisation, grading and classification of monuments and archaeological sites referred to in sub-rule (1), places such monuments and archaeological sites into the broad category of grading provided in the Schedule and shall accordingly make recommendations to the Central Government under sub-section (2) of Section 4A;

(3) The Central Government shall on receipt of duly graded and classified lists of protected monuments and protected areas, notify it in the Official Gazette and also exhibit it on its Official web-site;

(4) The Authority shall obtain public opinion and invite suggestions or objections from the public and hold consultations on each occasion when it proposes to extend the prohibited or regulated area beyond one hundred meters and two hundred meters respectively from a protected monument or protected area based on classification under section 4A, before sending its recommendations to the Central Government.

7. **Procedure by the National Monuments Authority:-** The Authority shall monitor the working of the competent authority, particularly relating to –

(i) receipt of applications by the competent authority from any person, who desires to carry out any construction, re-construction or repair or renovation;
(ii) periodicity of disposal of applications with appropriate recommendations;
(iii) the Member Secretary of the Authority while examining the applications received from the competent authority shall obtain requisite details, such as site inspection notes, ground conditions, heritage bye-laws and specific comments about the visual impact on regulated or prohibited area of the protected monument or protected area;
(iv) obtain reports and comments on impact of major public works or projects and other constructions envisaged by the Central Government and the State Government, local authorities, municipal bodies, etc., private bodies, affecting the regulated or prohibited area indicated in the bye-laws around the protected monuments or archaeological sites and give its recommendations;
(v) The Authority, in exceptional cases where the competent authority is unable to prepare the heritage by-laws within the specified period of sixty days, may extend the period by another sixty days.

8. **Agenda for the meeting of the Authority :-** (1) The Authority shall deliberate on the following agenda, namely:-

(i) examination and consideration of heritage bye-laws;
(ii) examination and consideration of applications received for construction, re-construction, repairs and renovations from the competent authority;
(iii) examination and consideration of major public projects, development projects and other projects related to public utility, etc.;
(iv) examination of proposals regarding extending prohibited or regulated area, etc.;
(v) examination of proposals regarding categorisation and classification of protected monuments and protected area and obtaining public opinion and invite objections through notification, etc.;
(vi) the Member Secretary shall include in the agenda for the meeting, any case which, in his opinion is urgent, irrespective of any deficiency in regard to particulars or delay in its receipt.

(2) The Authority shall evolve a system of listing the above subject matters received by it for consideration.

9. **Recommendation by Authority :-** (1) The Member Secretary shall, within a period of forty-five days from the date of receipt of application from the competent authority, examine the application, taking note of the heritage bye-laws and have it included in the meeting of the Authority;

(2) The Authority shall examine the application after taking due note of the observations of the Member Secretary and make recommendations specifying conditions as it may deem fit to the competent authority;

(3) The Member Secretary shall convey the recommendations of the Authority to the competent authority in Form;

(4) If the Member-Secretary after examining the applications recommended by the competent authority is of the opinion that additional information is required for taking a decision by the Authority, the same shall be conveyed to the competent authority and requisite information shall be obtained within a period of twenty-one days.

## CHAPTER IV

## CONDUCT OF BUSINESS OF THE AUTHORITY

**10. Meetings of the Authority:-** The Authority shall conduct meetings depending upon the requirement to consider the cases placed before it and to make recommendations for grant of permission.

**11. Special Meetings:-** The Chairperson may either himself or on the recommendation of the Member Secretary convene extra-ordinary meeting of the Authority to consider and take a view on any urgent matter of importance.

**12. Place of meetings and notice therefor :-** (1) The meetings of the Authority shall ordinarily be held in New Delhi or in exceptional cases at any other place as may be decided by the Chairperson;

(2) The whole-time members and part-time members shall be given minimum two days notice in case of regular meetings and minimum one day notice in case of special meetings;

(3) The notice along with agenda specifying the time, date and place of the meeting shall be issued under the signature of the Member-Secretary;

(4) The Authority may invite competent authority to participate in exceptional cases, to obtain his considered views relating to major development projects or public works, provided the Member Secretary of the Authority has made a recommendation to this effect.

**13. Presiding at the meetings :-** The meetings of the Authority shall be presided over by the Chairperson and in his or her absence, by such senior most whole-time member from amongst the members present in the meeting.

**14. Participation of representative of public projects:-** The Member Secretary may, if consider necessary and with the approval of the Chairperson, invite the representative of public projects or individuals, the applicant or his representative to appear before the Authority to explain the details of the proposal.

**15. Decision of the Authority** :- (1) The Authority may make recommendations on the proposals by a broad consensus, as far as possible;

(2) Where it is not possible to reach a consensus on a proposal, it shall be decided by a majority of the chair, the whole-time members and part-time members present and the ex-officio member by raising of hands;

(3) In the event of tie, the chair shall have a second and casting vote.

**16. Minutes of the meetings** :- (1) The Member Secretary of the Authority shall be responsible for preparation of minutes of the meetings of the Authority and circulating the same to all the whole-time and part-time members and the ex-officio member;

(2) The Member Secretary shall be responsible for uploading the minutes in the official web-site of the Authority after it is approved by the Chairperson;

(3) The minutes shall be confirmed in the next meeting of the Authority and the confirmation shall be endorsed in the Minute Book by the Chairperson and the Member Secretary;

(4) No whole-time member and part-time member shall be entitled to raise any objection in regard to the text of the minutes of any meeting unless he was present at the meeting to which it relates;

(5) No whole-time member and part-time member shall be entitled to raise any objection in regard to the text of the minutes of any meeting after the minutes have been confirmed by the Authority.

## CHAPTER V

**17. Impact assessment of large scale development projects in regulated areas:-**

(1) The Authority shall issue detailed guidelines to provide for the manner in which the archaeological impact assessment of large scale development projects shall be undertaken;

(2) The Authority may make recommendations for restoration of the cultural landscape which has been damaged due to construction or like activities in the past.

**18. Approval of heritage bye-laws:-** (1) The Authority shall, on receipt of proposed heritage bye-laws from the competent authority, make necessary scrutiny thereof;

(2) The Authority shall after the scrutiny and approval of the proposed heritage by-laws publish the same inviting objection or suggestion from the public;

(3) The Authority may decide on the objection or suggestions so received in consultation with competent authority;

(4) The Authority shall forward each approved heritage bye-laws to the Central Government and the Director-General, who shall within a period of thirty days host the Heritage bye-laws on their web-site and also make them available in their offices.

## CHAPTER VI

## SUPPORTING STAFF OF THE AUTHORITY

19. **Member Secretary**:- The Member Secretary shall be responsible for –

(a) the day-to-day administration of the Authority;
(b) drawing up work programmes with the approval of the Chairperson;
(c) implementing the work programmes and the decisions taken by the Authority; and
(d) matters concerning finance and accounts of the Authority.

## SCHEDULE

*[see rule 6]*

Broad category of monuments and archaeological sites declared as of national importance on the basis of historical, archaeological, artistic and architectural value and such other relevant factors, under section 3 and 4 of the Act.

**Category I** : Protected monuments/archaeological sites inscribed on the World Heritage Cultural Sites list of UNESCO.

**Category II** : Protected monuments and archaeological sites included in the Tentative List by the World Heritage Committee.

**Category III** : Protected monuments and archaeological sites identified for inclusion in the World Heritage Tentative List of UNESCO.

**Category IV** : Ticketed protected monuments and archaeological sites (other than the World Heritage Sites and sites included in the Tentative List).

**Category V** : Monuments and sites with adequate flow of visitors identified for charging entry fee.

**Category VI** : Living monuments which receive large number of visitors/pilgrims.

**Category VII** : Other monuments located in the Urban/ Semi urban limits and in the remote villages.

**Category VIII** : Or such other category as the Authority may deem fit.

**Form**

*[see rule 9(3)]*

Recommendation of the National Monument Authority for grant of permission for undertaking repairs / renovation in the prohibited area and construction/ reconstruction / repairs / renovation / mining / quarrying in the regulated area of an ancient monument/ archaeological site/remains declared as of national importance under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

1. Name of the applicant :

2. Address of the applicant :

3. Name of the owner(s) :
(if the applicant is other than the owner)

4. Address of the owner(s) :
   (a) Present address

   (b) Permanent address

5. Whether the property is owned by Government/Public Sector Undertaking/Private Sector Undertaking/Firm

6. Name of the nearest monument or site :
   (a) Locality :
   (b) District :
   (c) State :
7. Area under which the proposed construction / reconstruction/repairs/renovation is falling……,….Prohibited/Regulated area
8. Nature of the work proposed:
   (repair/renovation/construction/reconstruction)
9. Category of monument or archaeological site/remains :
10. Grading of the monument or archaeological site/remains:
11. Classification of the monument or archaeological site/remains:
12. Impact of proposed construction on the monument or archaeological site/remains:
13. Recommendation/approval/disapproval of the Authority :

Place: Seal of the Authority
Date:

Signature
Member Secretary
National Monument Authority

File No…

[F. No. 1/8/2010-M (Pt. II-NMA)]

GAUTAM SENGUPTA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.